रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237289
CG-DL-E-14072022-237289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2022/आषाढ़ 23, 1944
No. 507] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2022/ASHADHA 23, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 577(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (थ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये नियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 में,

(क) उप-नियम (1) में, -

(i) खंड (क) में, स्पष्टीकरण I से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"परन्तु किसी इलैक्ट्रानिक उत्पाद के मामले में, जिसे 15 जुलाई, 2022 के पश्चात् विनिर्मित या पैक या आयातित किया गया है, ऐसे उत्पाद का पैकेज ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्माता या पैककर्ता या आयातक जैसा

भी मामला हो, के नाम की घोषणा पैकेज पर की जाएगी और यदि, ऐसी सूचना क्यूआर कोड के माध्यम से घोषित की जाती है और पैकेज पर घोषित नहीं की जाती है, तो ऐसी घोषणा में उपभोक्ता को पता या अन्य संबंधित जानकारी के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए भी सूचित किया जाएगा ; "

(ii) खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परन्तु किसी इलैक्ट्रानिक उत्पाद के मामले में, जिसे 15 जुलाई, 2022 के पश्चात् विनिर्मित या पैक या आयातित किया गया है, ऐसे उत्पाद का पैकेज ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, यदि ऐसी जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से की जाती है और पैकेज पर घोषित नहीं की जाती है, तो वस्तु के सामान्य और जातीय नाम तथा जहां पैकेज में एक से अधिक उत्पाद शामिल है, तो उत्पाद का नाम और संख्या या मात्रा की जानकारी के लिए उपभोक्ता को क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए सूचित किया जाएगा ; "

(iii) खंड (च) में, निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु किसी इलेक्ट्रानिक उत्पाद के मामले में, जिसे 15 जुलाई 2022 के पश्चात विनिर्मित या पैक या आयातित किया गया है, ऐसे उत्पाद का पैकेज, ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, यदि ऐसी सूचना क्यूआर कोड के माध्यम से घोषित की जाती है और पैकेज पर घोषित नहीं की जाती है तो उपभोक्ता को वस्तु के आकार और परिमाण के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए सूचित किया जाएगा";

(ख) उप-नियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु किसी इलैक्ट्रानिक उत्पाद के मामले में, जिसे 15 जुलाई 2022 के पश्चात विनिर्मित या पैक या आयातित किया गया है, ऐसे उत्पाद का पैकेज, ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, तो यदि ऐसी जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से घोषित की जाती है और पैकेज पर ही घोषित नहीं की जाती है, तो दूरभाष नंबर और ई-मेल पता पैकेज पर ही घोषित किया जाएगा और ऐसी घोषणा में उपभोक्ताओं को अन्य जानकारी के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए सूचित किया जाएगा ।".

[फा. सं. आई-12/21/2020-बाट एवं माप]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 202(अ) तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 226(अ), तारीख 28 मार्च, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, 14th July, 2022

G.S.R. 577(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (j) and (q) of sub-section (2), of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) (Second Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, in rule 6,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) in clause (a), before Explanation I, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in the case of an electronic product which is manufactured or packed or imported after the 15th July, 2022, the package of such product shall, for a period of one year from such date, declare the name of the manufacturer or packer or importer, as the case may be, on the package itself and such declaration shall also inform the consumers to scan the QR code for the address and other related information,in case such information is declared through the QR Code and not declared on the package itself;'

(ii) in clause (b), the following proviso shall be inserted , namely:-

"Provided that in the case of an electronic product which is manufactured or packed or imported after the 15th July, 2022, the package of such product shall, for a period of one year from such date, inform the consumers to scan the QR code for the common or generic name of the commodity and where such package contains more than one product, then for the name and number or quantity of each product, in case such information is declared through the QR Code and not declared on the package itself";

(iii) in clause (f), the following proviso shall be inserted , namely:-

"Provided that in the case of an electronic product which is manufactured or packed or imported after the 15th July, 2022, the package of such product shall, for a period of one year from such date, inform the consumers to scan the QR code for the size and dimension of the commodity, in case such information is declared through the QR Code and not declared on the package itself";

(b) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in the case of electronic product, which are manufactured or packed or imported after the 15th July, 2022, the package of such product shall, for a period of one year from such date, declare the telephone number and e-mail address, on the package itself and such declaration shall also inform the consumers to scan the QR code for other related information in case such information is declared through the QR Code and not declared on the package itself.".

[F. No. I-12/21/2020-W&M]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. number 202 (E), dated the 7th March, 2011 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 226 (E), dated the 28th March, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM